

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 42/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी को अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र डूंगर दास को अंचल निरीक्षक श्री गणेश/ दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पहुआ थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 25/76 दाग नं0 32 रकवा 00-10-00 किस्म पानी करीम श्री मेहेबा पासवान पिता प्रसादी पासवान साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मेहेबा पासवान को दिनांक..... समय..... पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

मेहेबा पासवान

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

29/7/16

आज्ञापूर्वक 25 मजदारी में मेहेबा पासवान पिता प्रसादी पासवान उपस्थित। मुक्ति प्राप्ति संबंधी दस्तावेज सत्यापन। उक्त कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि उन्होंने भूमि पर वर्तमान दस्तावेज से संबंधित नोटिश सत्यापन प्रतिवेदन अगली तिथि के पूर्व समर्पित करें। आज्ञापूर्वक दिनांक 4/8/16 को रखें।

sancha

मेहेबा पासवान  
29/7/16

मह 2/9/16 4/16

3

अभिलेख उपस्थापित। महेजा पालवान जिजा वसुदेवी पालवान अनुपस्थित। जेहासीन पालवानकी सन्ध कार्य में कार्य। अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

310 अ.  
महेजा

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित।

श्री महेजा पालवान उपस्थित। उक्त कार्य दाखिल किया गया है। हलका उक्त कार्य का प्रतिक्रम अप्रत्या अभिलेख दिनांक 26.8.16 को रखें।

11/8/16

14/6/19

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस निर्गत करें।

मंथन अधिकारी,  
महाराष्ट्र

15/7/19

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस निर्गत। विपक्षी की कोर्ट लेटागिरी नहीं है कार्य।

21/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस निर्गत करें।


मंथन अधिकारी,  
महाराष्ट्र

15/7/19  
13/5/19  
18

19.08.2021


अभिलेख उपस्थापित।

कोविड - 19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया है।  
कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक  
...26.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वार्ध में अधोदस्ताक्षरी के  
न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित  
होने हेतु नोटिस निर्गत करें।

  
अंचल अधिकारी,  
महागामा।

26/08/2021

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त।  
महेश पासवान पिता - प्रसादी पासवान ग्राम -  
बसआ के द्वारा दायरी दी गयी। साथ ही साथ  
भूमि से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति  
प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन किया।  
अभिलेख दिनांक 02-09-2021 को रखें।

  
अंचल अधिकारी,  
महागामा।

02/09/2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक - सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक  
महागामा से प्रश्नगत भूमि का जॉच प्रतिवेदन  
प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया।  
प्रतिवेदनानुसार अक्वैथ/सट्टेहास्पट पंजी II  
रैपत को भूमि मौजा - बसआ थाना नं-692  
के गैरमजहूआ खाता नं-24 के अंदर टांग  
नं-32 का अंश रकवा 00-10-00 धूरा



जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोंडा के  
वेदोवस्ती केश नं - 89/1991-92 के  
साध्यम से मदेश पासवान पिता-प्रसादी  
पासवान को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में  
प्रश्नगत भूमि पर मदेश पासवान के द्वारा  
अंश भाग पर प्रधानमंत्री आवास निर्माणाधीन  
है।

अतः उपरोक्त के आलोक में  
अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित  
अंचल अधिकारी,  
महागामा।

अंचल अधिकारी,  
महागामा।